



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 01 अप्रैल, 2013 ई0

चैत्र 11, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 146/XXXVI(3)/2013/16(1)/2013

देहरादून, 01 अप्रैल, 2013

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड गन्ना (खरीद एवं पूर्ति विनियम) (संशोधन) विधेयक, 2013” पर दिनांक 28 मार्च, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 15, वर्ष 2013 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड गन्ना (खरीद एवं पूर्ति विनियम) (संशोधन) अधिनियम, 2013

[उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 15 वर्ष 2013]

उत्तर प्रदेश गन्ना (खरीद एवं पूर्ति विनियम) अधिनियम, 1953 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो—

- संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड गन्ना (खरीद एवं पूर्ति विनियम) (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

- धारा 5 का संशोधन 2. उत्तर प्रदेश गन्ना (खरीद एवं पूर्ति विनियम) अधिनियम, 1953 की धारा 5 में :—

- (1) उपधारा (3) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :—

“(3) परिषद में निम्नलिखित होंगे; अर्थात् :—

(एक) सम्बद्ध चीनी फैक्ट्री के दो प्रतिनिधि, जो अध्यासी द्वारा नामांकित किये जायेंगे;

(दो) सुरक्षित क्षेत्र में कार्यशील प्रत्येक गन्ना उत्पादक सहकारी समितियों के पाँच प्रतिनिधि, जो ऐसी समितियों के प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों द्वारा समितियों के सदस्यों में से चुने जायेंगे :

परन्तु यह कि पाँच प्रतिनिधियों में से उपलब्धता की दशा में एक प्रतिनिधि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों तथा एक प्रतिनिधि अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों में से होगा तथा एक प्रतिनिधि महिला होगी;

(तीन) सुरक्षित क्षेत्र में खाण्डसारी बनाने वाली लाईसेन्सशुदा शक्ति चालित इकाईयों का एक प्रतिनिधि, जो स्वामियों द्वारा निर्वाचित किया जायेगा;

(चार) सम्बन्धित सहायक गन्ना आयुक्त;

(पाँच) ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक जो पदेन सदस्य—सचिव होगा।”

(2) उपधारा (4) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :-

“(4) परिषद् का कार्यकाल सहकारी गन्ना समिति के कार्यकाल का सहविस्तारी होगा और इसका कार्यकाल समाप्त होने के बाद परिषद् उपधारा (3) में दिये गये उपबन्धों के अनुसार पुनर्गठित की जायेगी :

परन्तु यह कि यदि गन्ना आयुक्त का यह समाधान हो जाय कि ऐसा करना आवश्यक है तो राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् परिषद् को उसके कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भंग कर सकता है अथवा परिषद् का कार्यकाल अधिकतम दो वर्ष के लिए और बढ़ा सकता है।”

आज्ञा से,

डी० पी० गैरोला,
प्रमुख सचिव।

No. 146/XXXVI(3)/2013/16(1)/2013

Dated Dehradun, April 01, 2013

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of ‘**The Uttarakhand Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Act, 2013**’ (Adhiniyam Sankhya 15, of 2013)

As Promulgated by the Governor of Uttarakhand and assented on 28 March, 2013.

The Uttarakhand Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Act, 2013

[Uttarakhand Act No. 15 of 2013]

An

Act

further to amend the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953 (as applicable to the State of Uttarakhand) in its application to the State of Uttarakhand.

Be it enacted in the Sixty-fourth Year of the Republic of India by the Uttarakhand State Legislative Assembly as follows: --

Short title and Commencement 1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of section 5 2. In sub-section (3) of section 5 of the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953 :-

(1) Sub-section (3) shall be substituted as follows; namely :-

“(3) The Council shall consist of the following; namely:-

(i) two representatives of the sugar factory concerned to be nominated by the occupier;

(ii) five representatives of each Cane-growers' Co-operative Society functioning in the reserved area, to be elected by the members of the committees of management of such societies from amongst the members of such societies :

Provided that one representative of Scheduled Castes or Scheduled Tribes, one representative of Other Backward Classes and one representative woman shall be in five representatives of the cane-growers subject to availability;

(iii) One representative of the licensed power-driven khandsari manufacturing units in the reserved area, to be elected by their owners;

(iv) the Assistant Cane Commissioner of concerned council;

(v) the Senior Cane Development Inspector, who shall be *ex-officio* Member-Secretary.”

(2) Sub-section (4) shall be substituted as follows; namely :-

“(4) The term of council shall be concurrent to the term of cane society and after expiry of the terms, the council shall be reconstituted according to the provisions in sub-section (3):

Provided that the Cane Commissioner, if he is satisfied that it is necessary to do so, then after the approval of the State Government dissolved the council before the expiry of its term or extend the time of the council maximum for two years.”

By Order,

D. P. GAIROLA,
Principal Secretary.